

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2025-26/ 935

दिनांक 29/09/2025
06 OCT 2025

आवश्यक सूचना

विषय :- वर्ष 2025-26 हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के नवीनीकरण के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करने बाबद।

अनुसूचित जाति/जनजाति के नवीनीकरण के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक 2025-26 में जमा किये शिक्षण शुल्क की वापसी चाहते हैं, राज्य शासन द्वारा सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जावेगी, इस हेतु बैंक खाते को आधार NPCI व DBT से लिंक कराना आवश्यक है।

A) विद्यार्थियों के माता पिता की वार्षिक आय के अनुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियम निम्नानुसार है :-

क	वर्ग	माता/पिता की वार्षिक आय	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क हेतु पात्रता
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	रु 2,50,000/- तक	छात्रवृत्ति व शिक्षण, अन्य शुल्क आदि नियमानुसार
2	अनुसूचित जाति/जनजाति	रु 2,50,001/- से में आय का बंधन नहीं	केवल शिक्षण, अन्य शुल्क आदि नियमानुसार

B) पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट www.mptaasc पर ऑन-लाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जिसकी हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति में दिनांक 31/10/2025 तक जमा करे, जिसके अभाव में छात्रों को शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं रहेगी।

C) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृति हेतु आदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :-

- 1) एडमिशन स्लीप/चालान/अलॉटमेंट लेटर की छाया प्रति संलग्न करे।
- 2) उत्तीर्ण अंक सूची :- विगत दो वर्षों की अंक सूची की फोटो कापी
- 3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :- एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य। 4) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 5) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्र हेतु
अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो